जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ / एल.पी.सी. / 16 / डी– 580 दिनांकः– 17/8/16

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 126वीं बैठक दिनांकः 10.08.16 को अपराह्नः 04.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिन्तन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		126:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 125वीं बैठक दिनांक 29.06.16 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 113वीं से 125वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 125वीं बैठक दिनांक 29.06.16 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 113 से 125 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा शेष प्रकरणों की अविलम्ब अनुपालना करने हेतु उपायुक्तों को निर्देश दिए गए। राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि / 3 / 2002 जयपुर, दिनांक 28.06.16 के द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जल प्रदाय योजनओं आदि के लिये अधिकतम 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने की शक्तियां प्राधिकरण को प्रदान की है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् एलपीसी द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जल प्रदाय योजनाओं हेतु 1000 वर्गमीटर तक सशुल्क आवंटन के संबंध में लिये गये निर्णयों में से लम्बित प्रकरणों में राज्य सरकार के आदेशानुसार तत्काल निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। उक्तानुसार आदेश जारी करावें।
2.	13ए	126:2	राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री पाबूराम मावर पुत्र श्री भोलाराम को भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) द्वारा शिक्षक श्री पाबूराम मावर पुत्र श्री भोलाराम को वर्ष 1990 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने के फलस्वरूप राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधान्तर्गत राजभवन आवासीय योजना में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों में से एक नॉन कॉनर 180 वर्गमीटर का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री पाबूराम मावर को राजभवन योजना में उपलब्ध नॉन कॉर्नर 180 वर्गमीटर के भूखण्डों में से एक भूखण्ड योजना की आवासीय आरक्षित दर पर लॉटरी द्वारा आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
3.	13ए	126:3	राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री ओमप्रकाश दोतानिया को भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) द्वारा शिक्षक श्री ओमप्रकाश दोतानिया को वर्ष 2014 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने के फलस्वरूप राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधान्तर्गत राजभवन आवासीय योजना में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों में से एक नॉन कॉनर 180 वर्गमीटर का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री ओमप्रकाश दोतानिया को राजभवन योजना में उपलब्ध नॉन कॉर्नर 180 वर्गमीटर के भूखण्डों में से एक भूखण्ड योजना की आवासीय आरक्षित दर पर लॉटरी द्वारा आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

अति० आयुक्त (एल पी सी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

4.	13ए	126:4	राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्रीमती हरिकान्ता दशोरा को भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) द्वारा शिक्षक श्रीमती हरिकान्ता दशोरा को वर्ष 1985 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने के फलस्वरूप राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधान्तर्गत राजभवन आवासीय योजना में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों में से एक नॉन कॉनर 180 वर्गमीटर का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्रीमती हरिकान्ता दशोरा को राजभवन योजना में उपलब्ध नॉन कॉर्नर 180 वर्गमीटर के भूखण्डों में से एक भूखण्ड योजना की आवासीय आरक्षित दर पर लॉटरी द्वारा आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
5.	13ए	126:5	श्री पप्पू गुर्जर पुत्र श्री सरदार सिंह गुर्जर को हरचन्दपुरा डेयरी योजना में पूर्व आवंटित भूखण्ड के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	श्री पप्पू गुर्जर पुत्र श्री सरदार सिंह गुर्जर को हरचन्दपुरा डेयरी योजना में आवंटित भूखण्ड की राशि समय पर जमा नहीं करवाने के कारण आवंटित भूखण्ड निरस्त कर दिया गया। किन्तु प्रार्थी द्वारा पुनः बहाली का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार द्वारा भूखण्ड संख्या ए–55 का आवंटन बहाल कर दिया गया। परन्तु प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड संख्या ए–55 पूर्व में श्री रमेश कपूर को आवंटित किया जा चुका है। चूंकि प्रार्थी को हरचन्दपुरा डेयरी योजना में आवंटित भूखण्ड राज्य सरकार द्वारा बहाल किया जा चुका है। अतः उक्त भूखण्ड के स्थान पर समान रोड चौडाई पर रिक्त भूखण्ड संख्या 193 का आवंटन करने हेतु उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा दिनांक 12.02.15 को राज्य सरकार को लिखे गये पत्र में भूखण्ड संख्या ए–55 को बहाल करने की स्वीकृति पश्चात् प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 193 आवंटन करने का उल्लेख किया गया था। किन्तु राज्य सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 11.06.15 में केवल भूखण्ड संख्या ए–55 बहाल करने की स्वीकृति है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री पप्पू गुर्जर को भूखण्ड संख्या ए–55 (अन्य को आवंटित) के स्थान पर समान माप व समान चौडाई की सडक पर स्थित भूखण्ड संख्या 193 विनिमय करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जावे।
6.	15	126:6	मैसर्स एस.एफ.एग्रो फार्मस प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री अनिल माहेश्वरी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम नृसिंहपुरा दादिया में आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या 1–ए क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर के स्थान पर अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	मैसर्स एस.एफ.एग्रो फार्मस प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर श्री अनिल माहेश्वरी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम नृसिंहपुरा दादिया में आवासीय भूखण्ड संख्या 1–ए क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर 48 मीटर चौडी सडक पर आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 707.5 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। आवंटी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल की राशि जमा कराने से मना कर दिया है। सेज पुनर्वास योजना ग्राम नृसिंहपुरा दादिया में 1250 वर्गमीटर भूमि का कोई भूखण्ड रिक्त नहीं है। अतः उपायुक्त द्वारा उक्त भूखण्ड के स्थान पर नजदीकी पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया / बगरूखुर्द (राजदरबार) के भूखण्ड संख्या 87, 106, 108, 109 तथा 110 प्रत्येक क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर जो 30 मीटर चौडी सडक पर स्थित है, में से एक भूखण्ड के विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। उपायुक्त ने यह भी अवगत कराया है कि सेज पुनर्वास की सभी योजनाऐं राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा सभी योजनाओं की आवासीय आरक्षित दर 8000/– रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित है अर्थात् प्रस्तावित भूखण्डों की

प्रति० आयुक्त [illegible]
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				समतुल्यता / सममुल्यता समान है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर सेज पुनर्वास योजना ग्राम नृसिंहपुरा दादिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 1–ए क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर के स्थान पर पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया / बगरूखुर्द (राजदरबार) के भूखण्ड संख्या 87, 106, 108, 109 तथा 110 प्रत्येक क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
7.	15	126:7	मैसर्स एस.एफ.एग्रो फार्मस प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री अनिल माहेश्वरी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा में आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या 48–सी क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर के स्थान पर अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	मैसर्स एस.एफ.एग्रो फार्मस प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर श्री अनिल माहेश्वरी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा में आवासीय भूखण्ड संख्या 48–सी क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। आवंटी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल की राशि जमा कराने से मना कर दिया है। सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा में 200 वर्गमीटर भूमि का कोई भूखण्ड रिक्त नहीं है। अतः उपायुक्त द्वारा उक्त भूखण्ड के स्थान पर नजदीकी पुनर्वास योजना ग्राम झांई के भूखण्ड संख्या 257, 258, 263, 264 व 275 प्रत्येक 200 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड के विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। उपायुक्त ने यह भी अवगत कराया है कि सेज पुनर्वास की सभी योजनाऐं राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा सभी योजनाओं की आवासीय आरक्षित दर 8000/– रूपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित है अर्थात् प्रस्तावित भूखण्डों की समतुल्यता / सममुल्यता समान है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा के आवासीय भूखण्ड संख्या 48–सी क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर के स्थान पर पुनर्वास योजना ग्राम झांई के समान माप व समान चौडाई की सडक पर स्थित भूखण्ड संख्या 257, 258, 263, 264 व 275 प्रत्येक 200 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
8.	15	126:8	मैसर्स एस.एफ.एग्रो फार्मस प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री अनिल माहेश्वरी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा में आवंटित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 290 के बढे हुए क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में।	मैसर्स एस.एफ.एग्रो फार्मस प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर श्री अनिल माहेश्वरी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा में व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 290 क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड का मौके पर क्षेत्रफल 30.70 वर्गमीटर बढ कर भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 830.70 वर्गमीटर हो रहा है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट में भूखण्ड के बढे हुए क्षेत्रफल में नया भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता, संबंधी टिप्पणी भी अंकित की है। नगरीय विकास विभाग के आदेश प.3(543)नविवि/3/2009 दिनांक 13.10.11 में आवंटन के समय बताये गये क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल बढ़ जाने व उसका स्वतंत्र उपयोग संभव न होने पर, बढे हुये क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड न मानते हुये उक्त हिस्सा भूखण्ड का ही अविभाज्य हिस्सा माना है व अधिक क्षेत्रफल को वर्तमान आरक्षित दर पर आवंटित किया जाना उचित माना है। समिति की 121वीं बैठक में इसी के अनुसार निर्णय किए गए है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त बढे हुए क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लेण्ड न मानकर भूखण्ड का अविभाज्य हिस्सा माना जाकर बढा हुआ क्षेत्रफल 30.70 वर्गमीटर को योजना की वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

(उप सचिव भू.नी.)
अति. आयुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

9.	15	126:9	मैसर्स एस.एफ.एग्रो फार्मस प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री अनिल माहेश्वरी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाड़ा में आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या 88 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर के स्थान पर अन्य भूखण्ड व सेज पुनर्वास योजना ग्राम नृसिंहपुरा दादिया में आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या 263–सी क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर के स्थान पर अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	मैसर्स एस.एफ.एग्रो फार्मस प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर श्री अनिल माहेश्वरी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाड़ा में आवासीय भूखण्ड संख्या 88 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड 18 मीटर सड़क पर स्थित है तथा मौके पर पुराना मंदिर बना हुआ है। अतः आवंटी को अन्य भूखण्ड दिया जाना प्रस्तावित है। सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाड़ा में 1250 वर्गमीटर भूमि का कोई भूखण्ड रिक्त नहीं है। अतः उपायुक्त द्वारा उक्त भूखण्ड के स्थान पर नजदीकी पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया / बगरूखुर्द (राजदरबार) के भूखण्ड संख्या 12, 19 व 37 प्रत्येक 1250 वर्गमीटर 18 मीटर सड़क पर स्थित में से एक भूखण्ड के विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। उपायुक्त ने यह भी अवगत कराया है कि सेज पुनर्वास की सभी योजनाऐं राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा सभी योजनाओं की आवासीय आरक्षित दर 8000/– रूपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित है अर्थात् प्रस्तावित भूखण्डों की समतुल्यता / सममुल्यता समान है। मैसर्स एस.एफ.एग्रो फार्मस प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर श्री अनिल माहेश्वरी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम नृसिंहपुरा दादिया में आवासीय भूखण्ड संख्या 263–सी क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड 30 मीटर व 18 मीटर कॉर्नर का भूखण्ड होने से मौके पर क्षेत्रफल बढकर 1450 वर्गमीटर हो गया। आवंटी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल की राशि जमा कराने से मना कर दिया है। सेज पुनर्वास योजना ग्राम नृसिंहपुरा दादिया में 1250 वर्गमीटर भूमि का कोई भूखण्ड रिक्त नहीं है। अतः उपायुक्त द्वारा उक्त भूखण्ड के स्थान पर नजदीकी पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया / बगरूखुर्द (राजदरबार) के भूखण्ड संख्या 85, 86, 111 व 115 प्रत्येक 1250 वर्गमीटर 30 मीटर सड़क पर स्थित में से एक भूखण्ड के विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। उपायुक्त ने यह भी अवगत कराया है कि सेज पुनर्वास की सभी योजनाऐं राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा सभी योजनाओं की आवासीय आरक्षित दर 8000/– रूपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित है अर्थात् प्रस्तावित भूखण्डों की समतुल्यता / सममुल्यता समान है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त के प्रस्तावानुसार सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाड़ा के आवासीय भूखण्ड संख्या 88 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर के स्थान पर पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया / बगरूखुर्द (राजदरबार) के भूखण्ड संख्या 12, 19 व 37 प्रत्येक 1250 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड व सेज पुनर्वास योजना ग्राम नृसिंहपुरा दादिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 263–सी क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर के स्थान पर पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया / बगरूखुर्द (राजदरबार) के भूखण्ड संख्या 85, 86, 111 व 115 प्रत्येक 1250 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
10.	2	126:10	पुलिस चौकी, पुराना विद्याधर नगर के लिए भूमि आवंटन करने बाबत।	पुलिस उपायुक्त, राजस्थान पुलिस (पुलिस आयुक्तालय), जयपुर द्वारा पुलिस चौकी पुराना विद्याधर नगर के लिए भूमि आवंटन का आवेदन किया है। उपायुक्त जोन–2 द्वारा पुलिस चौकी पुराना विद्याधर नगर हेतु ई.डब्ल्यू.एस. डबल स्टोरी भवनों के सामने सेक्टर–8, विद्याधर नगर, जयपुर में 840 वर्गमीटर भूमि के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पुलिस चौकी, पुराना विद्याधर नगर हेतु सेक्टर–8 की प्रस्तावित 840 वर्गमीटर भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/– रूपये भी सम्मिलित किए जावे। विभाग द्वारा यदि आवंटन निःशुल्क चाहा गया है, तो प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाने का भी निर्णय लिया गया।
11.	10ए	126:11	श्रीमती दीपा सैनी पत्नी जगदीश कुमार को भूखण्ड संख्या 10/ओएई/204 हिगोनिया के बदले अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	रिंग रोड परियोजना के अन्तर्गत खोरी रोपाडा के खातेदार प्रभु पुत्र रामपाल को भूखण्ड संख्या 10/ओएई/204 की लीजडीड जारी की गई थी। लेकिन उक्त भूखण्ड टोल प्लाजा से प्रभावित हो जाने के कारण मूल खातेदार को भूखण्ड संख्या 10/ओएई/384 का विनिमय पत्र जारी किया जा चुका है। विनिमय पत्र जारी होने से पूर्व ही मूल खातेदार द्वारा मूल भूखण्ड का बेचान श्रीमती दीपा सैनी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा कर दिया गया। क्रेत्री द्वारा पूर्व में दिये गये भूखण्ड एवं वर्तमान में दिये गये भूखण्ड का स्थान समान नहीं होने के कारण रिंग रोड परियोजना में ही भूखण्ड संख्या 10/ओएई/444 से 447 के मध्य कोई भी एक भूखण्ड विनिमय में दिये जाने का निवेदन किया गया है, जो 18 मीटर चौडी सडक पर 5.76 मीटर पैसेज में स्थित है। उपायुक्त द्वारा उक्तानुसार विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 10/ओएई/384 के स्थान पर नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या 10/ओएई/444 से 447 में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया। साथ ही उपायुक्त को यह भी निर्देशित किया गया है कि रिंग रोड के क्लोवर लीफ से प्रभावित समान सभी प्रकरणों को परीक्षणोपरान्त एक माह की अवधि में एलपीसी के समक्ष रखने हेतु प्रस्तुत किया जावे।
12.	13ए	126:12	राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को राजभवन आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के तहत महामहिम राष्ट्रपति से सम्मानित शिक्षक को अधिकतम 200 वर्गमीटर का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। पूर्व में इस प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण पीताम्बरा/राजभवन/कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन किया जाकर किया गया था। वर्तमान में उक्त योजनाओं में नियमानुसार देय 200 वर्गमीटर के भूखण्ड रिक्त नहीं है। आनन्द विहार योजना में 162 वर्गमीटर के आवासीय नॉन कॉर्नर 12 भूखण्ड रिक्त है। अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) द्वारा पात्र 8 शिक्षकों को आनन्द विहार योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। पात्र शिक्षकों का विवरण निम्नानुसार हैः– 1. श्रीमती गायत्री देवी शर्मा 2. श्री रूप नारायण काबरा 3. श्री राम सिंह 4. श्री हकीम खां पुत्र अब्दूल रहमान 5. श्री प्रहलाद राय सोमानी 6. श्री विनोद कुमार जैन 7. श्री शिवदयाल सिंह बगाडिया 8. श्री गोविन्दराम शर्मा प्री–एलपीसी द्वारा आनन्द विहार योजना के स्थान पर अभिनव विहार विस्तार योजना में भूखण्ड आवंटन करने की

अति० आयुक्त (एलपीसी ग्रा.मो.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				अभिशंषा की गई है। किन्तु बैठक के दौरान उपायुक्त जोन–13ए से जानकारी करने पर बताया कि राजभवन योजना में 180 वर्गमीटर के कुल 40 भूखण्ड रिक्त थे। पूर्व में 26 भूखण्ड रिक्त होने की सूचना गलती से दे दी गई। जिनमें से एलपीसी की 125वीं बैठक के निर्णयानुसार 23 भूखण्डों की लॉटरी निकाली जा चुकी है। अब वर्तमान में 17 भूखण्ड रिक्त है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त 8 शिक्षकों को राजभवन योजना में उपलब्ध 17 नॉन कॉर्नर 180 वर्गमीटर के भूखण्डों में से प्रत्येक को एक–एक भूखण्ड योजना की आवासीय आरक्षित दर पर लॉटरी द्वारा आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
13.	13	126:13	श्री ज्ञान चन्द मक्कड को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए–2/498 के स्थान पर अन्य रिक्त भूखण्ड विनिमय में समान सडक पर समान क्षेत्रफल को 125 वर्गमीटर के भूखण्ड दिये जाने बाबत।	श्री ज्ञान चन्द मक्कड को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए–2/498 आवंटन किया गया था। जिसका अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 135.90 वर्गमीटर अंकित है। इस भूखण्ड को लॉटरी में 125 वर्गमीटर श्रेणी के भूखण्डों में शामिल कर निकाला गया है। उक्त भूखण्ड खसरा सीमा पर होने के कारण मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर क्षेत्रफल 94.20 वर्गमीटर ही उपलब्ध है। जो कि आवंटित क्षेत्रफल 125 वर्गमीटर से 30.80 वर्गमीटर कम है। अतः उपायुक्त द्वारा प्रार्थी को समान क्षेत्रफल व समान सडक पर योजना में उपलब्ध केवल एक भूखण्ड संख्या बी–1/439 दिये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श भूखण्ड संख्या ए–2/498 के स्थान पर समान चौडाई की सडक व समान क्षेत्रफल के उपलब्ध केवल एक भूखण्ड संख्या बी–1/439 से विनिमय करने का निर्णय लिया गया। साथ ही उपायुक्त को यह भी निर्देशित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार के समान सभी प्रकरणों को पृथक–पृथक प्रस्तुत न कर परीक्षणोपरान्त एक साथ एक माह की अवधि में एलपीसी के समक्ष रखने हेतु प्रस्तुत किया जावे।

आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

14.	12बी	126:13(1)	श्री हृदयेश कुमार जुनेजा पुत्र श्री राज वंश जुनेजा को जविप्रा की हाथोज विस्तार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एफ–118 के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12बी द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि श्री हृदयेश कुमार जुनेजा को जविप्रा की हाथोज विस्तार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एफ–118 की लीजडीड जारी की गई थी। उक्त भूखण्ड के मौके पर अतिक्रमण होने के कारण मौके पर भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सका। उपायुक्त द्वारा योजना के भूखण्ड संख्या सी–8 व सी–9 की मौका रिपोर्ट कराने पर उक्त भूखण्डों पर अतिक्रमण होना पाया गया। अतः उपायुक्त द्वारा योजना में अन्य कोई अविवादित भूखण्ड रिक्त नहीं होने के कारण योजना में स्थित कॉर्नर भूखण्ड संख्या एफ–110, एफ–120, एफ–131 प्रत्येक 162 वर्गमीटर में से कोई एक भूखण्ड के विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या एफ–118 के स्थान पर कॉर्नर भूखण्ड संख्या एफ–110, एफ–120, एफ–131, में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में नियमानुसार कॉर्नर चार्जेज वसूलने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि भूखण्ड संख्या एफ–118, सी–8 व सी–9 पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे।
15.	7	126:13(2)	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	उपायुक्त जोन–7 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			विभाग को भांकरोटा में ई.एस. आर. हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	को ग्राम भांकरोटा में ई.एस.आर. हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर, दिनांक 28.06.16 के अनुसरण में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को ग्राम भांकरोटा में 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
16.	7	126:13(3)	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को ग्राम केशोपुरा के खसरा नं. 61 में भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–7 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जविप्रा स्वामित्व की ग्राम केशोपुरा के खसरा नं. 61 की भूमि में से 990 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प. 3(55)नविवि/3/2002 जयपुर, दिनांक 28.06.16 के अनुसरण में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को ग्राम केशोपुरा में 990 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
17.	7	126:13(4)	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को गिरधारीपुरा कच्ची बस्ती में ई.एस.आर. व पम्पिंग स्टेशन हेतु 1771.60 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–7 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को गिरधारीपुरा कच्ची बस्ती में ई.एस.आर. व पम्पिंग स्टेशन हेतु 1771.60 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को गिरधारीपुरा कच्ची बस्ती में 1771.60 वर्गमीटर भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/– रूपये भी सम्मिलित किए जावे। विभाग द्वारा यदि आवंटन निःशुल्क चाहा गया है, तो प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाने का भी निर्णय लिया गया।
18.	7	126:13(5)	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को ग्राम हरनाथपुरा के खसरा नं. 223 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा गैरमुमकिन श्मशान में से 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–7 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को ग्राम हरनाथपुरा के खसरा नं. 223 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा गैरमुमकिन श्मशान में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस. आर. हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर, दिनांक 28.06.16 के अनुसरण में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को ग्राम हरनाथपुरा के खसरा नं. 223 में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई. एस.आर. हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। चूंकि प्रकरण में मौके पर प्रश्नगत भूमि के कुछ भाग पर श्मशान निर्मित है व चालू है। अतः भूमि का आवंटन इस प्रकार किया जावे कि श्मशान के काम आ रही भूमि यथावत बनी रहे।
19.	7	126:13(6)	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजना गिर्राज नगर (निजी खातेदारी) कालवाड रोड में उपलब्ध सुविधा क्षेत्र में 960.88 व.मी. भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–7 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजना गिर्राज नगर (निजी खातेदारी) कालवाड रोड में उपलब्ध सुविधा क्षेत्र में 960.88 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर, दिनांक 28.06.16 के अनुसरण में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को गिर्राज नगर योजना में सुविधा क्षेत्र में 960.88 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
20.	15	126:13(7)	श्री हनुमान सहाय शर्मा पुत्र स्व. श्री नानगराम को सेज	श्री हनुमान सहाय शर्मा पुत्र स्व. श्री नानगराम को सेज पुनर्वास योजना ग्राम बगरूखुर्द में आवासीय भूखण्ड संख्या

प्राति० आयुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			पुनर्वास योजना ग्राम बगरूखुर्द के आवासीय भूखण्ड संख्या 1877 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर के स्थान पर अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	1877 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड का मौके पर क्षेत्रफल 1181.25 वर्गमीटर है। जो आवंटित भूखण्ड से 68.75 वर्गमीटर कम है। आवंटी आवंटित भूखण्ड के समान क्षेत्रफल का भूखण्ड ही आवंटन चाहता है। कम क्षेत्रफल के भूखण्ड की लीजडीड हेतु असहमति व्यक्त की है। सेज पुनर्वास योजना ग्राम बगरूखुर्द में 1250 वर्गमीटर भूमि का कोई भूखण्ड रिक्त नहीं है। अतः उपायुक्त द्वारा उक्त भूखण्ड के स्थान पर नजदीकी पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया/बगरूखुर्द (राजदरबार) के भूखण्ड संख्या 12, 19 व 37 प्रत्येक 1250 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड के विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मौके पर आवंटित मूल भूखण्ड से 10 प्रतिशत तक कम अथवा अधिक क्षेत्रफल पाये जाने पर कम क्षेत्रफल भी आवंटित किया जा सकता है। अतः विनिमय किया जाना उचित नहीं है।
21.	14	126:13(8)	सांगा शिक्षा समिति, जयपुर को नॉलेज सिटी (साउथ) योजना के भूखण्ड संख्या यू–2 क्षेत्रफल 12 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने के निर्णय को निरस्त करने बाबत।	उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि एलपीसी की 90वीं बैठक दिनांक 28.09.12 में सांगा शिक्षा समिति, जयपुर को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम चित्तौडा तह. फागी में नॉलेज सिटी (साउथ) योजना के भूखण्ड संख्या यू–2 क्षेत्रफल 12 हैक्टेयर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया था। जिसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.11.12 को आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 29.04.2016 के द्वारा नवीन आवंटन नीति 2015 के परिपेक्ष्य में सभी पैरामीटर्स चैक करते हुये वित्तीय संसाधन रिपोर्ट परियोजना की संक्षिप्त रिपोर्ट जिसमें प्रस्तावित निर्माणों का विवरण, लागत/निवेश व समय सीमाओं, क्षमता का उल्लेख करते हुये निर्धारित प्रमाणित चैकलिस्ट में सुसंगत दस्तावेजों के नवीन प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार संस्था को दिनांक 12.05.16 व 09.06.16 को पत्र लिखकर उपरोक्तानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। साथ ही उपायुक्त द्वारा दूरभाष पर भी दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। किन्तु आदिनांक तक कोई दस्तावेज/प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उपायुक्त द्वारा आवंटन करने के निर्णय को निरस्त करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। रिसर्जेन्ट राजस्थान–2015 के अन्तर्गत राज्य सरकार व सांगा शिक्षा समिति के मध्य एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया हुआ है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण काफी पुराना होने व संस्था द्वारा भूमि आवंटन हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से यह प्रतीत होता है कि संस्था भूमि लेने की इच्छुक नहीं है। अतः समिति द्वारा प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही को निरस्त करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

अति. [illegible] सदस्य सचिव [illegible] सी.)
जयपुर [illegible] एवं [illegible] जयपुर
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी–द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव एवं
अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 126वीं बैठक दिनांक 10.08.16 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:—

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोडा, सचिव	सदस्य
3.	श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
4.	श्री देवराज सिंह, निदेशक (वित्त)	सदस्य
5.	श्री खजान सिंह, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री ओ. पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	विशेष आमंत्रित
7.	श्री बृजेश किशोर शर्मा, विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.)	विशेष आमंत्रित
8.	श्री सतीश चन्द गोयल, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	विशेष आमंत्रित
9.	श्री मधुसूदन पालीवाल, उपायुक्त जोन—7 व 9	विशेष आमंत्रित
10.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन—8, 12, 12ए व 12बी	विशेष आमंत्रित
11.	श्री रामनारायण बडगुर्जर, उपायुक्त जोन—11	विशेष आमंत्रित
12.	श्री मातादीन मीणा, उपायुक्त जोन—13 व 13ए	विशेष आमंत्रित
13.	श्री रामलाल गुर्जर, उपायुक्त जोन—14 व 14ए	विशेष आमंत्रित
14.	श्री धारा सिंह मीणा, उपायुक्त जोन—15	विशेष आमंत्रित
15.	श्रीमती उषा जैन, सलाहकार (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित